FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा

जगदीश बनाम रामेश्वर वगै0

किस्म मुकद्मा– प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट नं0............33............ सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.08.2018	प्रार्थना पत्र प्रार्थी जगदीश की ओर से अभिभाषक श्री शिवप्रसाद शर्मा द्वारा उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें, वकील श्री शर्मा को एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षी के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि प्रतिपक्षी प्रार्थी को ग्राम पाचडा की झोपडियां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 108 रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 120 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 272 रकबा 1.48 हे0 व ख0नं0 281 रकबा 0.50 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.16 हे0 भूमि पर कब्जा नहीं करें, भूमि से बेदखल नहीं करें, उक्त भूमि की बकाया रकम 280000/–रू0 अदा किये बिना इंतकाल नहीं खुलवाये और प्रतिपक्षी नं0 2 उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का प्रतिपक्षी नं0 1 के नाम इंतकाल नहीं खोलें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपनें प्रतिनिधि से करावें तथा प्रतिपक्षीगण भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम पाचडा की झोपडियां तहसील दीगोद सं0 2070–73 तथा अन्य दस्तावेंजो के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में नजर आता है। अतः अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पाचडा की झोपडियां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 108 रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 120 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 272 रकबा 1.48 हे0 व ख0नं0 281 रकबा 0.50 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.16 हे0 भूमि के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थित बनाये रखे। अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षीगण आगामी पेशी तक के लिए जारी की जाती है। यदि प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ति हो तो वह आगामी पेशी 17.09.2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। पत्रावली दिनांक 17.09.2018 को पेश हो। (कैलाश चन्द्र शर्मा) उपखण्ड अधिकारी, दीगोद पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण ने आ... न्यायिक पूर्ण वहिष्कार... के कारण ... रखा है। 16.10.18	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	अ... हुक्म जारी
16.10.18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक --10-12-18--को पेश हो ।	
10/12/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक ---5/2/2019----को पेश हो ।	
5/2/19	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक---- --2/4/19------को पेश हो ।	
2.4.19 N/Press	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। मूल वाद Not Press में खारिज हो चुका है। अब इस प्रा० पत्र में कोई कार्यवाही का किया जाना अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	